

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 7-3/2007/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
मध्यप्रदेश शासन  
समस्त संभागायुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश

**विषय:—**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन

**संदर्भ:—**भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का पत्र क्रमांक 42011/22/2006-स्थापना (आरक्षण)  
दिनांक 29 मार्च, 2007.

उपरोक्त विषय में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 42011/22/2006-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29 मार्च, 2007 को प्रति संलग्न है, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं.

2. कृपया भारत सरकार के इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये.

**संलग्न:—** उपरोक्तानुसार.

( आर. के. गजभिये )  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

NO. 42011/22/2006-ESTT. (RES)  
 MINISTRY OF PERSONEL, P. G. & PENSIONS  
 DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING  
 GOVERNMENT OF INDIA

पु. क्र. 528/2007/आ.प्र./एक  
 दिनांक 18-4-07

New, Delhi, dated : the 29th March, 2007.

OFFICE MEMORANDUM

**Subject** :—Action against Government servants who get appointment on the basis of false SC/ST/OBC certificates.

Respondent No. 1 in Civil Appeal No. 2294/1986 (State of Maharashtra Vs Milind & Ors) before the Supreme Court had got admission as a Scheduled Tribe candidate to MBBS degree course for the year 1985-86 on the strength of a Scheduled Tribe Certificate issued to him by the competent authority. The Supreme Court held him not to belong to a Scheduled Tribe but did not annul his admission or affected his degree. The Hon'ble Court observed that about 15 years had passed since he took admission and had already completed the course. At that length of time it was for nobody's benefit to annul his admission in as much as any action against the candidate might lead to depriving the society of the service of a doctor on whom public money had already been spent. The Court in that case also held that the admissions and appointments that had become final would remain unaffected by the judgement.

2. A question has been raised whether in view of the above referred judgement, the appointments made against the vacancies reserved for SCs/STs/OBCs on the basis of false SC/ST/OBC certificates shall not be disturbed if such appointments have been made final or are continuing for a long time.

3. The matter has been examined in consultation with the Department of Legal Affairs and it has been found that admissions and appointments of some candidates in the case of Milind and in some other similar cases were not annulled by the Supreme Court as a special case keeping in view the special circumstances of those cases. The relief accorded by the Supreme Court was specific relief provided only to the candidates who were party in those cases. The cases other than those protected by the specific order of the Apex Court should be dealt with in accordance with the instructions contained in this Department's OM No. 11012/7/91-Estt(A) dated 19-5-1993 which provides as follows :

“Wherever it is found that a Government servant, who was not qualified or eligible in terms of the recruitment rules etc. for initial recruitment in service or had furnished false information or produced a false certificate in order to secure appointment, he should not be retained in service. If, he is a probationer or a temporary Government servant, he should be discharged or his services should be terminated. If he has become a permanent Government servant, an inquiry as prescribed in Rule 14 of CCS (CCA) Rules, 1965 may be held and if the charges are proved, the Government servant should be removed or dismissed from service. In no circumstances should any other penalty be imposed”.

4. The above referred instructions are strengthened by the observations of the Supreme Court in Milind Kumar's case (SUPRA) to the effect that if the benefits of reservation are taken away by those for whom they are not meant, the people for whom they are really meant or intended will be deprived of the same and their suffering will continue. Allowing the candidates not belonging to the reserved categories to have the benefit of reservation either in admissions or appointments would lead to making mockery of the very reservation against the mandate and scheme of Constitution.

5. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.

(K. G. VERMA)  
 Director

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. All Officers and Sections in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and all attached/subordinate offices of the Ministry.
3. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi
4. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi.
5. Department of Public Enterprises, New Delhi.
6. Railway Board.
7. Union Public Service Commission/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat Prime Minister's Office/Planning Commission.
8. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi.
9. Ministry of Social Justice and Empowerment, Shastri Bhavan, New Delhi.
10. National Commission for SCs, Lok Nayak Bhavan, New Dehli
11. National Commission for STs, Lok Nayak Bhavan, New Dehli
12. National Commission for Backward Classes, Trikoot-1, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi.
13. Office of the Comptroller and Auditor General of India, 10, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002.
14. CBI, LBSNAA, ISTM, PESB, Central Sectt. Library, MHA Library.
15. Information and Facilitation Centre, DOPT, North Block, New Delhi.

Copy to :

The Chief Secretaries of all States/UTs.

संख्या 42011/22/2006-स्थापना ( आरक्षण )

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2007

कार्यालय ज्ञापन

**विषय.**— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के झूठे प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई.

उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 2294/1986 (महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिन्द और अन्य) में प्रतिवादी संख्या 1 ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर वर्ष 1985-86 के लिये एम. बी. बी. एस. डिग्री पाठ्यक्रम में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के रूप में प्रवेश लिया था. उच्चतम न्यायालय ने उसे अनुसूचित जनजाति का तो नहीं माना परन्तु उसके प्रवेश को रद्द अथवा डिग्री को प्रभावित भी नहीं किया. माननीय न्यायालय ने पाया कि उस समय प्रवेश के बाद 15 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और उसका पाठ्यक्रम पूरा हो चुका था. इतने लम्बे समय के बाद उसके प्रवेश को रद्द करने से किसी को कोई लाभ नहीं होता. उसके खिलाफ की गई कार्रवाई से समाज को एक ऐसे डॉक्टर की सेवा से वंचित रहना पड़ता जिस पर जनता का पैसा खर्च किया जा चुका था. न्यायालय ने उम मामले में यह भी निर्णय दिया कि ऐसे प्रवेश और नियुक्तियों के मामले जो अंतिम रूप ले चुके थे, न्यायालय के उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे.

2. उपर्युक्त फैसले के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षित रिक्तियों पर की गई ऐसी नियुक्तियां जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के झूठे प्रमाण-पत्रों के आधार पर हासिल की गई हैं और जो अंतिम रूप ले चुकी हैं अथवा जो लम्बे समय से जारी हैं, को समाप्त किया जा सकता है अथवा नहीं.

3. इस मामले में विधि कार्य विभाग से परामर्श किया गया और पाया गया कि मिलिन्द और उसी प्रकार के कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कुछ उम्मीदवारों के प्रवेश और नियुक्ति को उन मामलों को विशेष परिस्थितियों को देखते हुये रद्द नहीं किया. उच्चतम न्यायालय ने केवल उन्हीं उम्मीदवारों को विशेष राहत दी जो उन मामलों में पार्टी थे. शीर्ष न्यायालय के विशेष आदेश द्वारा रक्षित मामलों के अलावा सभी मामलों में इस विभाग के दिनांक 19-5-1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/7/91-स्था(क) में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की अपेक्षित है. उक्त कार्यालय ज्ञापन का प्रावधान नीचे दिया गया है :-

“यदि किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में यह पाया जाता है कि वह भर्ती नियमों इत्यादि के अनुसार सेवा में प्रारंभिक भर्ती के लिये योग्य नहीं था अथवा उसने नौकरी पाने के लिये गलत सूचना दी थी या गलत प्रमाण पत्र दिया था तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिये. यदि वह एक परिवीक्षाधीन अथवा अस्थायी सरकारी कर्मचारी है तो उसे कार्यमुक्त कर देना चाहिये. अथवा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जानी चाहिये. यदि ऐसा व्यक्ति स्थायी सरकारी कर्मचारी बन गया है तो उसके खिलाफ केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1965 के नियम 14 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार जांच की जानी चाहिये और यदि उस पर लगे आरोप साबित होते हैं तो उसे सेवा से हटा देना चाहिये या बरखास्त कर देना चाहिये. किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति पर इसके अतिरिक्त कोई और शास्ति नहीं लगाई जानी चाहिये.”

4. उपर्युक्त अनुदेशों को सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी से बल मिलता है कि यदि आरक्षण प्रसुविधाएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा हथिया ली जाती हैं जो इनके पात्र नहीं हैं तो इन प्रसुविधाओं के वास्तविक हकदार इनसे वंचित रह जायेंगे और वे सतत् नुकसान उठाते रहेंगे. आरक्षित श्रेणियों से संबंध न रखने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश अथवा नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ देना संविधान के आरक्षण प्रावधान के अधिदेश और योजना का उपहास करना होगा.

5. इस कार्यालय ज्ञापन को सभी संबंधितों की जानकारी में ला दिया जाये.

हस्ता./-  
(के. जी. वर्मा)  
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग.
2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग और सभी सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय.
3. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली.
4. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली.
5. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली.
6. रेलवे बोर्ड.
7. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/योजना आयोग.
8. कर्मचारी चयन आयोग, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली
9. सामाजिक न्याय और सशक्तता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली.
10. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली.
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली.
12. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, त्रिकूट-1, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली.
13. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली.
14. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, लोक उद्यम चयन बोर्ड, केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, गृह मंत्रालय, पुस्तकालय.
15. सूचना एवं सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली.

प्रतिलिपि प्रेषित :

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव.